नई शिक्षा नीति 2020 एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में पुस्तकालयों की उभरती भूमिका

डॉ. मोनिका सिंह
विभागाध्यक्षा, संगीत विभाग
असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत गायन
बी.डी.एम.एम. गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद
जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
ई-मेल: monikakanpsingh@gmail.com

सारांश

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा को बहुविषयक, अनुसंधान-उन्मुख, नवाचार-सक्षम और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस परिवर्तन में पुस्तकालयों की भूमिका पारंपरिक पुस्तक-संग्रह से आगे बढ़कर ज्ञान-संसाधन, डिजिटल पहुँच, सूचना साक्षरता, शोध नैतिकता और अकादमिक सहयोग के केंद्र के रूप में विकसित होती है। प्रस्तुत शोध-आलेख का उद्देश्य नीति के अनुसंधान-संबंधी दृष्टिकोण और पुस्तकालयों की बदलती भूमिका के बीच संबंध का विश्लेषण करना है। इसमें अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल पुस्तकालयों एवं मुक्त अभिगम संसाधनों, संस्थागत रिपॉजिटरी, सूचना साक्षरता, शोध नैतिकता, बहुविषयक अनुसंधान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों पर विचार किया गया है। आलेख का केंद्रीय तर्क है कि शोध की गुणवत्ता केवल शोधार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता या प्रकाशनों की संख्या से निर्धारित नहीं होती; वह विश्वसनीय संसाधनों, प्रशिक्षित मानव संसाधन, सहयोगी संस्थानों, नैतिक प्रक्रियाओं और समान पहुँच की संयुक्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। पुस्तकालय इस व्यवस्था को जोड़ने वाला आधारभूत संस्थान है। निष्कर्षतः, नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को व्यवहार में परिणत करने के लिए पुस्तकालयों में सतत निवेश, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष, डिजिटल अवसंरचना और संस्थागत स्तर पर स्पष्ट शोध-सहायता नीति आवश्यक है।

कुंजी शब्द

नई शिक्षा नीति 2020; पुस्तकालय; अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र; डिजिटल पुस्तकालय; सूचना साक्षरता; शोध नैतिकता

प्रस्तावना

शिक्षा और अनुसंधान का संबंध केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य नए प्रश्नों की पहचान, उपलब्ध ज्ञान की आलोचनात्मक समीक्षा और समाज के लिए उपयोगी निष्कर्षों का निर्माण भी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में यह प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब शोधार्थियों को प्रामाणिक साहित्य, उपयुक्त डेटाबेस, तकनीकी सहायता, संदर्भ-लेखन का प्रशिक्षण और बौद्धिक संवाद के अवसर उपलब्ध हों। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पुस्तकालय केंद्रीय भूमिका निभाता है। पुस्तकालय का पारंपरिक स्वरूप पुस्तकों और पत्रिकाओं के संग्रह तथा निर्गमन पर आधारित था, परंतु डिजिटल युग में उसकी जिम्मेदारी सूचना की खोज, मूल्यांकन, संगठन, संरक्षण और उत्तरदायी उपयोग तक विस्तृत हो गई है।

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने की व्यापक रूपरेखा देती है। नीति के उद्देश्यों को लागू करने के लिए केवल पाठ्यक्रम बदलना पर्याप्त नहीं है; संस्थानों को ऐसे सहायक तंत्र भी विकसित करने होंगे जो शोधार्थियों और अध्यापकों को ज्ञान-संसाधनों तक विश्वसनीय पहुँच प्रदान करें। इसी संदर्भ में यह आलेख पुस्तकालयों को अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सक्रिय घटक मानते हुए उनकी संभावनाओं, सीमाओं और विकास की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है।

अध्ययन-पद्धति एवं सीमाएँ

यह आलेख वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक अखंडता संबंधी विनियम तथा पुस्तकालयों और मुक्त विज्ञान से संबंधित संस्थागत स्रोतों का दस्तावेज़-आधारित अध्ययन किया गया है। यह प्राथमिक सर्वेक्षण या साक्षात्कार पर आधारित अनुभवजन्य अध्ययन नहीं है; इसलिए संस्थानों

की वास्तविक स्थिति के बारे में निष्कर्ष सामान्य विश्लेषण और उपलब्ध दस्तावेज़ों तक सीमित हैं। किसी विशेष महाविद्यालय के लिए नीतिगत सुझाव लागू करने से पहले स्थानीय संसाधनों, बजट और उपयोगकर्ता-आवश्यकताओं का आकलन आवश्यक होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 और अनुसंधान की दृष्टि

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाने के साथ अनुसंधान तथा नवाचार को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ती है। नीति की भावना के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रश्न-आधारित अध्ययन, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और ज्ञान-निर्माण के अवसर विकसित करने चाहिए। अनुसंधान का सुदृढ़ वातावरण बनाने के लिए वित्तीय सहायता, संस्थागत नेतृत्व, प्रशिक्षित संकाय, अकादमिक सहयोग और गुणवत्तापूर्ण सूचना-संसाधनों की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय इन घटकों के बीच एक व्यावहारिक सेतु का कार्य करता है।[1]

शोध का प्रारंभ सामान्यतः समस्या की पहचान और साहित्य समीक्षा से होता है। यदि शोधार्थी को अपने विषय पर पूर्व में प्रकाशित शोध, प्रामाणिक पुस्तकों, शोध-प्रबंधों, जर्नलों और सरकारी दस्तावेज़ों तक पहुँच नहीं मिलती, तो शोध की नवीनता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। पुस्तकालय विषयानुकूल संसाधन खोजने, डेटाबेस का उपयोग करने, संदर्भों को व्यवस्थित करने और साहित्य समीक्षा को रूप देने में सहायता करता है। इसलिए पुस्तकालय को केवल सहायक सुविधा नहीं, बल्कि शोध की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी शैक्षणिक अवसंरचना के रूप में देखना चाहिए।

अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा

अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र से आशय उन व्यक्तियों, संस्थानों, संसाधनों, नीतियों और प्रक्रियाओं के परस्पर जुड़े तंत्र से है जिनके माध्यम से शोध की योजना, निष्पादन, मूल्यांकन, प्रकाशन और प्रसार होता है। इसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान, वित्तपोषक निकाय, शोधकर्ता, प्रकाशक, पुस्तकालय, डिजिटल रिपॉजिटरी और अकादमिक नेटवर्क शामिल होते हैं। इन घटकों में से किसी एक की कमजोरी पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, शोधार्थी की योग्यता के बावजूद यदि उसे प्रासंगिक साहित्य या डेटाबेस उपलब्ध नहीं हैं, तो शोध की गहराई सीमित रह सकती है।

पुस्तकालय इस तंत्र में ज्ञान के संग्रहकर्ता के साथ-साथ ज्ञान तक पहुँच के मध्यस्थ, सूचना-साक्षरता के प्रशिक्षक और शोध-सहयोगी की भूमिका निभाता है। वह उपयोगकर्ताओं को केवल सामग्री उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि सही स्रोत चुनने, स्रोत की विश्वसनीयता जाँचने और सूचना का नैतिक उपयोग करने की क्षमता विकसित करने में भी सहायता करता है। इस प्रकार पुस्तकालय अनुसंधान की व्यक्तिगत प्रक्रिया को संस्थागत सहयोग में रूपांतरित करता है।

पुस्तकालय : ज्ञान-केंद्र से अनुसंधान सहयोगी तक

आधुनिक पुस्तकालय की भूमिका शोध-चक्र के लगभग प्रत्येक चरण में दिखाई देती है। विषय चयन के समय पुस्तकालयाध्यक्ष शोधार्थी को विषय से संबंधित प्रमुख पुस्तकों, समीक्षा-लेखों और डेटाबेस की पहचान में मदद कर सकता है। साहित्य समीक्षा के दौरान वह खोज-रणनीति, की-वर्ड चयन, विषय-शीर्षक, उद्धरण-श्रृंखला और संदर्भ प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है। शोध के दौरान डेटा-संसाधनों, मानकों, डिजिटल संग्रहों और पूर्ववर्ती शोध-प्रबंधों तक पहुँच महत्त्वपूर्ण होती है। शोध पूरा होने पर संदर्भों की शुद्धता, संस्थागत रिपॉजिटरी में जमा करना और शोध-परिणामों का प्रसार भी पुस्तकालय के सहयोग के क्षेत्र हैं।

इस परिवर्तन के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका को प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें सूचना विशेषज्ञ, डिजिटल संसाधन प्रबंधक, शोध-परामर्शदाता और अकादमिक संचार सहयोगी के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं के साथ नियमित संवाद, विषय-विशेष कार्यशालाएँ और शोध समूहों के साथ सहयोग पुस्तकालय सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। रंगनाथन के पुस्तकालय-विज्ञान संबंधी सिद्धांतों का मूल संदेश पाठक और पुस्तक के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करना है; डिजिटल युग में इस विचार को पाठक और विविध ज्ञान-संसाधनों के बीच प्रभावी, सुलभ और नैतिक संबंध के रूप में विस्तृत किया जा सकता है।[2]

डिजिटल पुस्तकालय, मुक्त अभिगम और संस्थागत रिपॉजिटरी

डिजिटल संसाधनों ने शोध की भौगोलिक सीमाएँ कम की हैं। ई-पुस्तकें, ई-जर्नल, डिजिटल अभिलेखागार, शोध-प्रबंध और मुक्त शैक्षिक संसाधन शोधार्थियों को अपने संस्थान से बाहर उपलब्ध ज्ञान तक पहुँच प्रदान करते हैं। भारत में Shodhganga शोध-प्रबंधों के डिजिटल संग्रह के रूप में और National Digital Library of India विविध शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच के मंच

के रूप में उपयोगी हैं। INFLIBNET Centre विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सूचना-संसाधनों तथा अकादमिक सेवाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[3] [4]

मुक्त अभिगम का अर्थ है कि शोध-सामग्री तक पहुँच के आर्थिक और तकनीकी अवरोधों को कम किया जाए, साथ ही लेखक के अधिकारों और लाइसेंस की शर्तों का सम्मान बना रहे। इससे विशेष रूप से उन शोधार्थियों को लाभ हो सकता है जिनके संस्थानों के पास महँगे डेटाबेस की सदस्यता लेने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। संस्थागत रिपॉजिटरी विश्वविद्यालयों के शोध-उत्पादन को संरक्षित करने, उसकी दृश्यता बढ़ाने और दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। तथापि, डिजिटल संग्रह की उपयोगिता केवल सामग्री अपलोड करने से सुनिश्चित नहीं होती; मेटाडेटा की गुणवत्ता, नियमित अद्यतन, कॉपीराइट की जाँच, बैकअप और दीर्घकालिक डिजिटल संरक्षण भी आवश्यक हैं।

सूचना साक्षरता एवं शोध नैतिकता

सूचना-साक्षरता का अर्थ केवल इंटरनेट पर जानकारी खोज लेना नहीं है। इसमें सूचना की आवश्यकता पहचानना, प्रभावी खोज करना, स्रोतों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करना, सूचना को व्यवस्थित करना और उसका नैतिक उपयोग करना शामिल है। डिजिटल वातावरण में शोधार्थी को यह समझना आवश्यक है कि खोज-परिणाम में ऊपर दिखाई देने वाला स्रोत अनिवार्यतः सर्वाधिक विश्वसनीय नहीं होता। लेखक की विशेषज्ञता, प्रकाशन का प्रकार, सहकर्मी-समीक्षा, प्रकाशक की प्रतिष्ठा, उद्धरण और स्रोत की तिथि जैसे संकेतकों की जाँच करनी चाहिए।

शोध नैतिकता में उचित उद्धरण, साहित्यिक चोरी से बचाव, डेटा की सत्यनिष्ठ प्रस्तुति, हितों के टकराव का प्रकटीकरण और बौद्धिक संपदा का सम्मान शामिल है। पुस्तकालय इन विषयों पर प्रशिक्षण देकर शोध की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। संदर्भ प्रबंधन उपकरणों का परिचय, उद्धरण शैलियों पर कार्यशाला, शोध-डेटाबेस का अभ्यास और साहित्यिक चोरी संबंधी संस्थागत नियमों की जानकारी शोधार्थियों को अधिक जिम्मेदार बनाती है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक अखंडता से संबंधित विनियम भी उच्च शिक्षा में साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल देते हैं।[5]

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण भेद समझना चाहिए: समान शब्दों का मिलना अपने-आप में हर परिस्थिति में साहित्यिक चोरी का प्रमाण नहीं है, और कम समानता प्रतिशत अपने-आप में मौलिकता का प्रमाण भी नहीं है। मूल्यांकन में संदर्भ, उद्धरण, विधा, स्रोत और शोधकर्ता की मंशा पर विचार आवश्यक है। अतः तकनीकी सॉफ्टवेयर को निर्णय का अकेला आधार न बनाकर प्रशिक्षित अकादमिक समीक्षा के साथ उपयोग किया जाना चाहिए।

बहुविषयक अनुसंधान में पुस्तकालयों का योगदान

नई शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक शिक्षा और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करती है। समकालीन समस्याएँ प्रायः किसी एक विषय तक सीमित नहीं होतीं। पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रभावी शोध के लिए विज्ञान, समाजशास्त्र, मानविकी, तकनीक, कानून और नीति-अध्ययन के स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है। पुस्तकालय विविध विषयों की सामग्री को एक ही संस्थागत व्यवस्था में उपलब्ध कराकर शोधार्थियों को ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता देते हैं।

उदाहरण के लिए, संगीत और पर्यावरण पर शोध करने वाले शोधार्थी को संगीतशास्त्र के साथ ध्वनि-पर्यावरण, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन और पर्यावरण नीति से संबंधित साहित्य भी चाहिए। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध के लिए प्राचीन ग्रंथों, आधुनिक आलोचनात्मक अध्ययनों, पांडुलिपि-सूचियों और ऐतिहासिक संदर्भों की आवश्यकता हो सकती है। पुस्तकालयों को ऐसे विषयगत मार्गदर्शक, डिजिटल संग्रह और शोध-परामर्श विकसित करने चाहिए जो अंतर्विषयक खोज को सरल बनाते हों।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य के पुस्तकालय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खोज, स्वचालित वर्गीकरण, पाठ-विश्लेषण, अनुवाद और शोध-सहायक उपकरण पुस्तकालय सेवाओं को अधिक कुशल बना सकते हैं। बड़ी मात्रा में उपलब्ध डिजिटल सामग्री में विषय-संबंध खोजने, दस्तावेज़ों का प्रारंभिक सार समझने और खोज-शब्दों के विकल्प सुझाने में ये उपकरण उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी इनके परिणामों को बिना जाँच के स्वीकार करना उचित नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी-कभी गलत तथ्य, काल्पनिक संदर्भ या पक्षपातपूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए शोधार्थियों को मूल स्रोत तक पहुँचने, उद्धरण सत्यापित करने और उपकरणों के उपयोग का पारदर्शी उल्लेख करने की आदत विकसित करनी चाहिए।

भविष्य का पुस्तकालय तकनीक को मानव विशेषज्ञता का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक साधन मानेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष की आलोचनात्मक समझ, विषयगत ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता बनी रहेगी। डिजिटल गोपनीयता, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा, कॉपीराइट और एल्गोरिद्मिक पक्षपात जैसे प्रश्न भी पुस्तकालय नीति का हिस्सा होने चाहिए। UNESCO की मुक्त विज्ञान संबंधी अनुशंसा ज्ञान के अधिक खुले, सहयोगी और सुलभ प्रसार की दिशा में अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा प्रस्तुत करती है; पुस्तकालय इस दिशा में संस्थागत स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।[6]

चुनौतियाँ एवं सुझाव

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालयों के विकास की गति समान नहीं है। कुछ संस्थानों में अद्यतन ई-संसाधन, प्रशिक्षित कर्मचारी और पर्याप्त इंटरनेट उपलब्ध हैं, जबकि अन्य संस्थानों में सीमित बजट, पुराने संग्रह, अपर्याप्त तकनीकी सहायता और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। ग्रामीण तथा छोटे महाविद्यालयों में डिजिटल पहुँच, भाषा-संबंधी बाधाएँ और उपकरणों की उपलब्धता अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा कर सकती हैं। यदि नीति के उद्देश्यों को समान रूप से लागू करना है, तो पुस्तकालय विकास को संस्थागत योजना और बजट का स्थायी हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

पहला उपाय नियमित आवश्यकतानुसार संसाधन-आकलन है, जिसमें शोधार्थियों और अध्यापकों से परामर्श लेकर डेटाबेस, पुस्तकों और डिजिटल सेवाओं की प्राथमिकताएँ तय की जाएँ। दूसरा, पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएँ। तीसरा, संस्थानों के बीच संसाधन-साझाकरण, अंतर-पुस्तकालय ऋण और संयुक्त सदस्यता की संभावनाएँ बढ़ाई जाएँ। चौथा, स्थानीय भाषाओं में शोध-संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री और उपयोगकर्ता सहायता उपलब्ध कराई जाए। पाँचवाँ, डिजिटल संग्रहों के संरक्षण, साइबर सुरक्षा और बैकअप की नियमित व्यवस्था हो। छठा, पुस्तकालय सेवाओं का मूल्यांकन केवल आगंतुकों या निर्गमन की संख्या से न करके शोध-सहायता, प्रशिक्षण, संसाधन-उपयोग और उपयोगकर्ता संतुष्टि जैसे संकेतकों से भी किया जाए।

इन उपायों के लिए संस्थागत नेतृत्व की प्रतिबद्धता आवश्यक है। पुस्तकालय को व्यय-केंद्र मानने के स्थान पर शोध-गुणवत्ता, ज्ञान-साझाकरण और शैक्षणिक समानता में निवेश के रूप में देखना चाहिए।

उपसंहार

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसंधान-संबंधी उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए पुस्तकालयों को आधुनिक, सुलभ, तकनीक-सक्षम और शोधोन्मुख संस्थानों के रूप में विकसित करना आवश्यक है। पुस्तकालय गुणवत्तापूर्ण साहित्य तक पहुँच, साहित्य समीक्षा, सूचना साक्षरता, शोध नैतिकता, मुक्त अभिगम, डिजिटल संरक्षण और बहुविषयक संवाद को समर्थन देते हैं। इस प्रकार वे अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के अनेक घटकों को जोड़ने वाली आधारभूत संस्था हैं।

इस आलेख का निष्कर्ष है कि पुस्तकालयों की प्रभावशीलता केवल भवन, पुस्तकों या कंप्यूटरों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। वास्तविक कसौटी यह है कि वे शोधार्थियों को विश्वसनीय संसाधनों तक कितनी समान पहुँच देते हैं, उन्हें सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना कितना सिखाते हैं और शोध-परिणामों के नैतिक तथा व्यापक प्रसार में कितना योगदान करते हैं। अतः उच्च शिक्षा संस्थानों को पुस्तकालयों के लिए पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित मानव संसाधन, डिजिटल अवसंरचना और स्पष्ट शोध-सहायता नीति सुनिश्चित करनी चाहिए। जब पुस्तकालय को अनुसंधान के सक्रिय साझेदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तभी नीति की व्यापक दृष्टि संस्थागत व्यवहार में अधिक प्रभावी रूप से परिणत हो सकेगी।

फुटनोट

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. National Education Policy 2020. 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/National_Education_Policy_2020_en.pdf.

2. Ranganathan, S. R. The Five Laws of Library Science. Madras Library Association, 1931.

3. INFLIBNET Centre. “Shodhganga: A Reservoir of Indian Theses.” https://shodhganga.inflibnet.ac.in/. अभिगमन: 18 अक्टूबर 2026.

4. National Digital Library of India. “National Digital Library of India.” Indian Institute of Technology Kharagpur, https://ndl.iitkgp.ac.in/. अभिगमन: 18 अक्टूबर 2026.
5. University Grants Commission. UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018. 31 July 2018, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7771545_academic-integrity-Regulation2018.pdf.
6. UNESCO. “Recommendation on Open Science.” 23 Nov. 2021, https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science.

Works Cited (MLA 9th Edition)

Government of India, Ministry of Education. National Education Policy 2020. Ministry of Education, 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/National_Education_Policy_2020_en.pdf.

INFLIBNET Centre. “Shodhganga: A Reservoir of Indian Theses.” INFLIBNET Centre, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/. Accessed 18 Oct. 2026.

National Digital Library of India. “National Digital Library of India.” Indian Institute of Technology Kharagpur, https://ndl.iitkgp.ac.in/. Accessed 18 Oct. 2026.

Ranganathan, S. R. The Five Laws of Library Science. Madras Library Association, 1931.

UNESCO. “Recommendation on Open Science.” 23 Nov. 2021, https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science.

University Grants Commission. UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018. 31 July 2018, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7771545_academic-integrity-Regulation2018.pdf.